

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष नं०:-0141-2740837, फ़ैक्स:- 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(आर-566 / 2023) / अलेसे-III / 343

दिनांक:- 21/01/26

“कार्यालय आदेश”

श्री राजेन्द्र कुमार, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) रोल नं.- 775849 कोष कार्यालय, बालोतरा को राजस्थान सेवा नियम (खण्ड-प्रथम) के नियम-96 एवं वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.01.2020 के अनुसरण में निम्नानुसार असाधारण (अवैतनिक) अवकाश (चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर) स्वीकृत किया जाता है :-

दिनांक 14.07.2025 से 27.07.2025 तक (कुल 14 दिवस)

उक्त 14 दिवस के असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्री राजेन्द्र कुमार, कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें।

यह निदेशक महोदय से अनुमोदित है।

(सीमा कौशल)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(आर-566 / 2023) / अलेसे-III / 343

दिनांक:- 21/01/26

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 कोष कार्यालय, बालोतरा।
- 2 वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- 3 श्री राजेन्द्र कुमार, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) रोल नं.- 775849 कोष कार्यालय, बालोतरा।
- 4 संयुक्त निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 5 रक्षित/निजी पत्रावली।

(सीमा कौशल)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)

Signature valid

Digitally signed by Seema Kaushal
Designation: Joint Director
Date: 2026.01.21 12:10:12 IST
Reason: Approved



RajK...

20021526

eSign 1.0